वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, जागरूक एक्सप्रेस, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 05.09.2025

जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को बैठक हुई। जोन पांच ने सबसे कम धनराशि जमा कराने पर जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

जोन पांच के फील्ड के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों का सितंबर का वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में कहा कि सितंबर के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर हर जोन से कम से कम 10-10 बड़े मानचित्रों की स्वीकृति कराएं। अवैध प्लॉटिंग की शुरुआत में ही प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई कराएं। ताकि अवैध विक्रय को रोका जा सके। निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशि जमा होने पर सचिव ने नाराजगी जताई।

आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण के लिए अवर अभियंता खुद शिकायतकर्ता से बात करें। जोनल अधिकारी और अवर अभियंता अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराएं। जोन-3 में 8, जोन-4 में 1, जोन-5 में 1 नक्शा स्वीकृत हैं। स्वीकृत मानचित्र की कुल संख्या 10 है। शमन शुल्क के रूप में 3,34,73850 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा किए गए।

दैनिक जागरण—दि0 05.09.2025

आकर्षक...

शहर के सुंदरीकरण के क्रम में नदेसर क्षेत्र में लगाई जा रहीं भारत के विभिन्न प्रांतों की नृत्य शैली को दर्शाती प्रतिमाएं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं। कुछ दिनों बाद मारीशस और भारत के प्रधानमंत्री भी काशी आने वाले हैं। इस रास्ते से गुजरते वक्त उनकी भी नजर इस ओर जरूर जाएगी ● उत्तम राय चौधरी

आज–दि0 05.09.2025

विप्रा उपाध्यक्ष ने देवकीनंदन हवेली आवासीय योजना का किया निरीक्षण

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने गुरुवार को देवकीनंदन हवेली रामापुरा के आवासों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सौंदर्यीकरण

कराने एवं आवासों के रिक्त संपत्तियों की जांच के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने देवकीनंदन हवेली में खाली प्लाटों को शीघ्र आवंटन करने का निर्देश दिया। मौके पर संपत्ति अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 05.09.2025

वीडीए के सचिव ने की समीक्षा बैठक

जिला संवाददाता

वाराणसी। गुरुवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ० वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3 (वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक एवं कोतवाली), जोन-4 (भेलूपुर एवं नगवां) तथा जोन-5 (रामनगर एवं मुगलसराय) के कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में 01.08.2025 से 31.08.2025 तक एक माह की प्रगति रिपोर्ट, विगत 3 माह की MPR तथा पूर्व में दिये गये निर्देशों की अनुपालन स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति एवं अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश, जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवंसोनू कुमार, जोन-5 के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार एवं अवर अभियन्ता राजू कुमार सहित मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जमा एवं स्वीकृत शमन मानचित्र, शमन शुल्क की वसूली, IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असंतोषजनक प्रतिक्रिया (Negative Feedback) और उनके निस्तारण की प्रगति, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल/डीजल/ सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशनों पर कार्यवाही, विन्यास एवं भवन (वार्ड) के टॉप-10 बकायेदार, CMS पोर्टल पर लंबित शिकायतें।

आलोच्य अवधि में स्वीकृत मानचित्र जोन-3....8, जोन-4....1, जोन-5....1, नक्शा स्वीकृत है। स्वीकृत मानचित्र कुल संख्या 10 है, जोन-3, 4 एवं 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु० 3,34,73850 प्राधिकरण कोष में जमा किये गये। निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशि जमा होने पर सचिव ने नाराजगी व्यक्त की।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 05.09.2025

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने आवासीय योजना का किया स्थलीय निरीक्षण

स्थलीय निरीक्षण के दौरान वीडीए वीसी पुलकित गर्ग अधीनस्थों से जानकारी लेते हुए

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने देवकी नन्दन हवेली आवासीय योजना रामापुरा का गुरवार को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उपाध्यक्ष द्वारा आवासीय योजना के पार्क के सौंदर्यीकरण कराने एवं आवासीय योजना के रिक्त सम्पत्तियों की जाँच व वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देशित किया की जिन सम्पत्तियों की अभी आवंटन नही हुआ है उन्हें जल्द ही आवंटन प्रक्रिया में लायेद्य मौके पर सहायक संपत्ति अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 05.09.2025

सचिव वाविप्रा की अध्यक्षता में विभिन्न जोनों की समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में 4 सितम्बर को जोन.3 ;वार्ड दशाश्वमेध चेतगंज चौक एवं कोतवाली जोन.4 ;भेलूपुर एवं नगवां तथा जोन.5 ;रामनगर एवं मुगलसराय के कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में 01.08.2025 से 31.08.2025 तक एक माह की प्रगति रिपोर्ट. विगत 3 माह की तथा पूर्व में दिये गये निर्देशों की अनुपालन स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में जोन.3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति एवं अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश जोन.4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं सोनू कुमार जोन.5 के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार एवं अवर अभियन्ता राजू कुमार सहित मुख्य भवन लिपिक विन्यास लिपिक एवं अन्य संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।समीक्षा के दौरान प्रमुख बिन्दुओं में जमा एवं स्वीकृत शमन मानचित्र,शमन शुल्क की वसूली,पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असंतोषजनक प्रतिक्रिया ;और उनके निस्तारण की प्रगति,अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही,अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल,डीजल,सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों पर कार्यवाही विन्यास एवं भवन ;वार्ड के टॉप.10 बकायेदार पोर्टल पर लंबित शिकायतें।आलोच्य अवधि में स्वीकृत मानचित्र जोन.3,8, जोन.4, जोन.5, नक्शा स्वीकृत है। स्वीकृत मानचित्र कुल संख्या 10 है, जोन.3, 4 एवं 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 3.34.73850 प्राधिकरण कोष में जमा किये गये। निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशि जमा होने पर सचिव ने नाराजगी व्यक्त की।इस दौरान सचिव ने निर्देश दिये जिनमें सभी पुराने लंबित शमन मानचित्र फाइलों का अतिशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।जोन.5 द्वारा सबसे कम धनराशि जमा कराये जाने पर जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।जोन.5 फील्ड समस्त अधिकारी व कर्मचारियों का माह सितम्बर का वेतन रोके जाने का निर्देशित किया गया ।सभी जोन सितम्बर माह हेतु विस्तृत कायर्योजना तैयार कर प्रत्येक जोन से कम से कम 10.10 बड़े मानचित्रों की स्वीकृति करना सुनिश्चित करें।अवैध प्लाटिंग की शुरुआत में ही प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएए जिससे अवैध विक्रय रोका जा सके और आमजनमानस को हानि से बचाया जा सके। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अवर अभियन्ता स्वयं शिकायतकर्ता से वार्ता करें, ताकि संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो।सभी जोनल अधिकारी एवं अवर अभियन्ता अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराएं।